PMAY-G अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27 (101)ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/S-N/विविध–I/2017–18 दिनांक 22 फरवरी, 2019

जिला कलक्टर,
जिला समस्त।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत क्रियान्वयन की रैंकिंग हेतु प्रयुक्त Performance Index अन्तर्गत Aadhaar Seeding के क्रम में।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 24.12.2018।

महोदय,

प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अन्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग हेतु 9 निर्धारित पैरामीटर के आधार पर पंचायत समिति, जिला, राज्य की रैंकिंग प्रतिदिन जारी की जाती है, जो OTP Based जिला स्तर व ब्लॉक स्तर लॉगिन पर भी उपलब्ध है। प्रासांगिक पत्र द्वारा राज्य की रैंकिंग में सुधार बाबत् कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था।

योजना के क्रियान्वयन की Performance Index में 9 पैरामीटर्स में से आधार सीडिंग भी एक पैरामीटर है, जिसके लिए 10 प्रतिशत अंक निर्धारित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी रैंकिंग के अन्तर्गत राज्य को Aadhaar Seeding के निर्धारित 10 प्रतिशत अंको में से 7.84 अंक ही प्राप्त है, जिससे राज्य की रैंकिंग प्रभावित हो रही है।

आवाससॉफ्ट से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार 686206 स्वीकृत आवासों के विरूद्ध 643331 लाभार्थियों के ही आधार नम्बर आवाससॉफ्ट पर दर्ज किये गये है, जिसमें से 224197 (35%) लाभार्थियों के आधार नम्बर रिजेक्ट किये जा चुके है। इस क्रम में रिजेक्ट आधार नम्बर के संशोधन हेतु ब्लॉक लॉगिन पर Beneficiary- Data Entry मॉडयूल पर Update Aadhar After Sanction का प्रावधान उपलब्ध है, जिसमें ग्राम पंचायत एवं वर्गवार आधार रिजेक्शन के कारण भी दर्शाया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु आवाससॉफ्ट से प्राप्त Edit Aadhaar No After Sanction की प्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्तानुसार Performance Index में शामिल Aadhaar Seeding पैरामीटर की समीक्षा कर शेष रहे लाभार्थियों के आधार सीडिंग एवं रिजेक्ट आधार नम्बर में आवश्यक संशोधन कराने की कार्यवाही संपादित की जावें, जिससे राज्य, जिले का योजना क्रियान्वयन में उच्चतम स्थान निश्चित हो सके।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त सचिव(ग्रा.आ.), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।

स्टेट नोडल अधिकारी–PMAY-G

C:\Users\Parag s\Desktop\Nahar SI\MS Word\Vividh.docx